



श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल (टिहरी गढ़वाल) उत्तराखण्ड-२४६१६६
Sri Dev Suman Uttarakhand University
Badshahithaul (Tehri Garhwal) Uttarakhand - 249199

पत्रांक:-3529 / प्रशासन / एसडीएसयूवी / 2023

दिनांक: 24 जुलाई, 2023

सेवा में,

1. प्राचार्य,
पं० ल० मो० शर्मा परिसर, ऋषिकेश।
2. प्राचार्य/निदेशक,
समस्त राजकीय/अशासकीय महाविद्यालय/स्ववित्त पोषित शिक्षण संस्थान,
सम्बद्ध
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

विषय— दो वर्ष से अधिक गैप के छात्र— छात्राओं को एन०ई०पी० में प्रवेश प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 23 मई, 2023 को सचिव उच्च शिक्षा कार्यालय, देहरादून में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नियमावली एवं समर्थ पोर्टल से प्रवेश के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करने का कष्ट करें (संलग्न)। जिसमें श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के साथ पूर्व में निर्धारित प्रवेश नियमावली की समीक्षा की गयी तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप वांछित परिवर्तनों पर चर्चा करते हुये सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि—

बिन्दु 03 अध्याय 1-15 के अनुसार स्नातक कक्षा पूर्व में विद्यार्थियों हेतु इन्टरमीडियेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त दो वर्ष के भीतर प्रवेश लेना अनिवार्य है तीसरे वर्ष वह विद्यार्थी प्रवेश न लेने की दशा में अनर्ह हो जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में GER में वृद्धि करने Multiple Entry and Multiple Exit करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। अतः उक्त के दृष्टिगत सभी विद्यार्थी उच्च शिक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह माने जायें तथा अध्याय 1-15 नियम को शैक्षिक वर्ष 2023-24 से हटा दिया जाय।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त नियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव कुलपति को, मा० कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

भवदीय,

(खेमराज भट्ट),
कुलसचिव।

(खेमराज भट्ट),
कुलसचिव।

सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 23 मई, 2023 को सचिव उच्च शिक्षा कार्यालय, देहरादून में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नियमावली एवं समर्थ पोर्टल से प्रवेश के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति-

- प्रो० एन०के० जोशी, कुलपति, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।
- श्री प्रशान्त आर्य, अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- प्रो० चन्द्रदत्त सूठा, निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- डॉ० एम०एस० मन्त्रवाल, कुलसचिव, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
- श्री खेमराज भट्ट, कुलसचिव, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।
- प्रो० ईला बिष्ट, कुलसचिव, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा उत्तराखण्ड।
- प्रो० रशिम पन्त, कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी।
- प्रो० एम०एस० रावत, प्राचार्य, श्रीदेव सुमन परिसर ऋषिकेश।
- डॉ० एम०एस०एम० रावत, सलाहकार रुसा, उच्च शिक्षा।
- प्रो० संजय पन्त, कुमाँऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल उत्तराखण्ड।
- डॉ० गोविन्द पाठक, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय (हल्द्वानी)।
- श्री बी०आर० आर्य, अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन।
- डॉ० दीपक कुमार पाण्डेय, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय (क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून)।
- डॉ० वी०पी० श्रीवास्तव, परीक्षक नियंत्रक, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।
- डॉ० देवेन्द्र सिंह बिष्ट, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
- डॉ० मनोज कुमार बिष्ट, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
- डॉ० चमन कुमार, नोडल अधिकारी समर्थ, डिजिटल इनीशियेटिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- डॉ० शैलेन्द्र कुमार सिंह, सहायक नोडल अधिकारी, डिजिटल इनीशियेटिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।

बैठक में कुमाँऊ विश्वविद्यालय नैनीताल, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा एवं श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के साथ पूर्व में निर्धारित प्रवेश नियमावली की समीक्षा की गयी तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप वांछित परिवर्तनों पर चर्चा करते हुए सचिव महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:-

1. अध्याय 1- नियम 13 के अनुसार विद्यार्थियों हेतु अधिमान अंको की व्यवस्था की गयी है जिसमें बिन्दु सं० च से ठ में प्रतियोगिताओं की परिभाषा निर्दिष्ट नहीं थी जबकि यह प्रतियोगिता खेल से सम्बन्धित थी। अतः इन बिन्दुओं में अधिमान अंकों में खेल अंकित किया जाए।
2. अध्याय 1-14 बिन्दु सं० (क) यदि कोई विद्यार्थी प्रथम सेमेस्ट में अपना संकाय

परिवर्तन करना चाहता है तो उसे अन्य संकाय में सर्वप्रथम पंजीकृत (पंजीकरण तिथि समाप्ति से पूर्व) होना अनिवार्य है तथा उसे संकाय की योगिता सूची में भी नाम आने की दशा में ही प्रवेश अनुमन्य होगा।

3. अध्याय 1-15 के अनुसार स्नातक कक्षा पूर्व में विद्यार्थियों हेतु इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त दो वर्ष के भीतर प्रवेश लेना अनिवार्य है तीसरे वर्ष वह विद्यार्थी प्रवेश न लेने की दशा में अर्ह हो जाता है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में GER में वृद्धि करने Multiple Entry and Multiple Exit करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। अतः उक्त के दृष्टिगत सभी विद्यार्थी उच्च शिक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह माने जायें तथा अध्याय 1-15 नियम को शैक्षिक वर्ष 2023-24 से हटा दिया जाय।
4. अध्याय 1-17 के अनुसार विद्यार्थी को एक ही पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अनुमन्य होगा, एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में किसी एक एडऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक से अधिक उपाधि में पंजीकरण अनुमन्य किया गया है जिसमें एक उपाधि नियमिति रूप से तथा दूसरा/अन्य पाठ्यक्रम ODL माध्यम से अनुमन्य होगा। किन्तु कक्षा का समय भिन्न होना चाहिए। अतः इस नियम को इस सीमा तक परिवर्तित किया जाय।
5. अध्याय 2-1 (क) के अनुसार उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5% अंकों की छूट अनुमन्य होगी। जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु भी 5% अंकों की छूट अनुमन्य होती है अतः इस नियम को भी शामिल किया जाय।
6. अध्याय 2-1 (ख) के अनुसार यदि कोई छात्र स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन करना होगा। जिसके उपरान्त ऐसे छात्र को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2-1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं भी इस तरह 5% प्रतिवर्ष अंक कम करने हेतु कोई नियम नहीं बनाया गया है

